<u>आरक्षित निर्णय</u>

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल मे

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार मिश्रा एवं

न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद्र खुल्बे

सरकारी अपील संख्या 333/2004

<u>आरक्षितः09.06.2022</u>
<u>पारित: *24.06.2022*</u>

उत्तराधारा राज्य..... अपीलकर्ता

बनाम

राजेंद्र सिंह यादव..... प्रत्यार्थी

अपीलकर्ता की ओर से: विद्वान अधिवक्ता श्री जे0 एस0 बिष्ट0, उप महाधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज जोशी, राज्ये की ओर से ब्रीफ़ होल्डर

प्रत्यार्थी की ओर से: श्री अरविंद वशिष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अजय जोशी,
विद्वान अधिवक्ता सहित।

विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर, न्यायालय ने निम्नलिखित किया

<u>निर्णय: (न्यायाधीश</u> रमेश चंद्र खुल्बे के अनुसार)

एस0 टी0 संख्या 399/2001 मे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उधम सिंह नगर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 07.06.2002 के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर की गई है। उपरोक्त द्वारा अभियुक्त को दोषी नहीं

पाते हुए तदनुसार, भा.दं.सं. की धारा 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत बरी कर दिया गया था।

2. मामले का तथ्य यह है कि सूचनकर्ता सुनील कुमार यादव पुत्र जयराम सिंह यादव निवासी शांति नगर, बिलासपुर, जिला रामपुर द्वारा पुलिस स्टेशन खतीमा, जिला उधम सिंह नगर के तहत चौकी माउझा में दिनांक 31.07.2001 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि उसकी छोटी बहन ममता का विवाह राजेंद्र सिंह यादव के साथ दिनांक 19.06.1998 को हिंदू संस्कृति और अनुष्ठानों के अनुसार किया गया था और उसने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था। उसकी बहन के पति राजेंद्र सिंह ने शादी के तुरंत बाद Rs.50,000/- की मांग शुरू कर दी। सूचनकर्ता की बहन ने सूचनकर्ता को इस बारे में कई बार बताया। सूचनकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने राजेंद्र सिंह यादव को कई बार समझाया। सूचनकर्ता का साला प्राथमिक विद्यालय, भिलिया (जामौर), जिला उधम सिंह नगर में शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। दिनांक 30.07.2001 को, रात में, लगभग 10.00 P.M एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर सूचना दी कि राजेंद्र सिंह ने अपनी बहन ममता को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है।इस पर, सूचनकर्ता और उसका परिवार 31.07.2001 को सुबह 7 बजे जामौर पहुंचा और देखा कि उसका शव जले हुए हालत में पड़ा था। सूचनकर्ता का साला मौके पर नहीं था। अभिकथित है कि ममता की उसके पति ने दहेज के लालच में जलाकर हत्या कर दी थी।उपरोक्त जानकारी के आधार पर, प्रदर्श क-1, चिक फ0 ई 0 आर 0 प्रदर्श क-13 पुलिस चौकी में दर्ज किया गया था।

3. मामले की प्रारंभिक जांच अधिकारी C.O, रुद्रपुर, PW6 श्रीमती विमला गुंज्याल द्वारा की गई थी। उसने घटना स्थल का निरीक्षण किया, , प्रदर्श क-5, के रूप में चिह्नित साइट मानचित्र तैयार किया और गवाहों का बयान दर्ज

किया गया। , प्रदर्श क-14 G.D. की कार्बन कॉपी है, , प्रदर्श क-2 पंचनामा, , प्रदर्श क-3 पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृतक ममता के शरीर पर मिले जले हुए निशान के संबंध में , प्रदर्श क-4 मेडिकल परीक्षा रिपोर्ट, , प्रदर्श क-5 अस्पताल में मृतक के प्रवेश के संबंध में पुलिस स्टेशन को डॉक्टर की रिपोर्ट, , प्रदर्श क-6 तहसीलदार का पत्र विवेचक को संबोधित पोस्टमॉर्टम करने के संबंध में, प्रदर्श क-7 तहसीलदार, खटीमा ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने के संबंध में सी. एम. ओ. को पत्र संबोधित किया। प्रदर्श क-8 मृत शरीर का स्केच, प्रदर्श क-9 टिकट का नमूना, पोस्टमॉर्टम के बाद मृत शरीर के कपड़े भेजने के संबंध में प्रदर्श क-10 पत्र और प्रदर्श क-11 घटना के स्थान से कीचड़ के संग्रह नमूने की रिपोर्ट है। इसके बाद, जांच PW7 D.S. कुंवर को सौंप दी गई।, जिन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र (प्रदर्श क-6) धारा 304ख भा.दं.सं. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रस्तुत किया गया था।

4. द0 प्र0 स0 की धारा 207 के अनुपालन के बाद, संबंधित मजिस्ट्रेट ने मुकदमे के लिए मामले को सेशन कोर्ट को सौंप दिया। तदनुसार, संबंधित न्यायालय ने संज्ञान लिया। इसके बाद, संबंधित न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 304 ख और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए, लेकिन उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक किया और विचरण चाह।

5. अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू1 सुनील यादव-सूचनकर्ता , पीडब्लू2 भुरी देवी, पीडब्लू3 संजीव कुमार, पीडब्लू4 डॉ. विमल कुमार श्रीवास्तव, ईएनटी सर्जन, पीडब्लू5 डॉ. प्रकाश चंदर पांडे, पीडब्लू6 श्रीमती विमला गुंज्याल, सीओ, रुद्रपुर, जो पहले विवेचक है। PW7 D.S. कुंवर, डीएसपी, खतीमा, जांच अधिकारी और पीडब्लू 8 कृष्ण सिंह, तहसीलदार, जिन्होंने पंचनामा तैयार किया।

6. पीडब्लू1 सुनील यादव सूचना देने वाला है और उसने कहा कि उसकी बहन ममता की शादी 19.06.1998 को आरोपी राजेंद्र सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद आरोपी ने अपनी बहन को एक साल तक अपने साथ रखा।इसके बाद, आरोपी ने मोटरसाइकिल या नकद में Rs.50,000/- की मांग की।वह मृतक को पीटता था।घटना के एक महीने पहले अभियुक्त को Rs.30,000/- नकद दिए गए थे और रक्षा बंधन उत्सव के बाद Rs.20,000/- की शेष राशि के भुगतान के लिए आश्वासन दिया गया था।

7. 30.07.2001 को, लगभग 10 बजे P.M, किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बताया कि उसकी बहन ममता को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया है।इस सूचना पर वह अपनी मां, बहन और अपने पड़ोसी के साथ 31.07.2001 को 7:30 बजे खटीमा के गाँव जामौर पहुँचा। उन्होंने मृत व्यक्ति के मृत शरीर को जली हुई हालत में जमीन पर पड़ा देखा।जबकि, आरोपी राजेंद्र मौके पर मौजूदा नहीं था।इसके आधार पर पुलिस को सूचना दी गई।

8. पीडब्लू 2 भुरी देवी, जो मृतक की मां हैं, ने कहा है कि मृतक ममता की शादी 19.06.1998 को आरोपी राजेंद्र के साथ हुई थी।अभियुक्त-प्रत्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है।शादी के समय, फ्रिज, रंगीन T.V, सोफा, बिस्तर, आभूषण, बर्तन आदि, दिए गए थे।आरोपी-प्रत्यार्थी ने शादी के समय मोटरसाइकिल की मांग की और आरोपी को उसकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया।शादी के बाद, मृतक ने उससे शिकायत की कि आरोपी-प्रत्यार्थी उसे पीटता था और मोटरसाइकिल या Rs.50,000/- नकद की मांग कर रहा था। उसे मृतक की मृत्यु से बीस दिन पहले मृतक का फोन आया था और वह पैसे मांग रही थी। उसने अपनी बेटी और दामाद को बुलाया और Rs.30,000/- दिए और वादा किया कि Rs.20,000/- की शेष राशि रक्षा बंधन त्योहार पर दी जाएगी। 30.07.2001 को किसी ने फोन द्वारा से सूचित किया कि आरोपी-प्रत्यार्थी राजेंद्र

ने मेरी बेटी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था।उसका बड़ा बेटा, पति और रिश्तेदार मृतक के वैवाहिक घर गए।

9. पीडब्लू3 संजीव कुमार पंचनामे के गवाह हैं।पीडब्लू 4 डॉ. विमल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 31.07.2001 को उन्हें जिला अस्पताल पीलीभीत में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था।उस दिन उन्होंने मृतक श्रीमती ममता का शव परीक्षण किया। उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की, जो की प्रदर्श क-13 है।

10. पीडब्लू 5 डॉ. प्रकाश चंदर पांडे ने बताया कि 30.07.2001 को उन्हें सीएचसी खतीमा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था।उस दिन शाम को 7 बजे P.M. उन्होंने श्रीमती ममता का चिकित्सा परीक्षण किया। उसे उसका पति लाया था।उसके शरीर पर कोई पहचान का निशान नहीं था क्योंकि यह 90% जली हुई चोटों का मामला था।उन्होंने मरीज का इलाज किया, सर्जन की सलाह ली और पुलिस को सूचित किया।उनकी राय में, मौत का कारण मिट्टी के तेल के संपर्क में आने से जलने की चोट है।उन्होंने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श क-4) को साबित किया।

11. पीडब्लू6 श्रीमती. रुद्रपुर की सर्कल अधिकारी विमला गुंज्याल ने बताया कि 31.07.2001 को जांच उन्हें सौंप दी गई थी।उसने सूचनकर्ता का बयान दर्ज किया और घटना स्थल का नक्शा तैयार किया।

12. PW7 D.S. कुंवर, पुलिस उपाधीक्षक, खटीमा ने कहा कि उन्होंने 02.08.2001 को जांच प्राप्त की और गवाहों के बयान दर्ज किए।तदनुसार, जांच पूरी होने के बाद, आरोप पत्र (प्रदर्श क -6) प्रस्तुत किया।

13. पीडब्लू 8 कृष्ण सिंह ने बताया कि 31.07.2001 को वह तहसीलदार,खटीमा के रूप में तैनात थे। श्रीमती ममता की हत्या की जानकारी मिलने पर, वह *जामौर* गया और पंचनामा तैयार किया, जो प्रदर्श क-2 है।

14. अभियोजन साक्ष्य के पूरा होने के बाद, द0 प्र0 स0 की धारा 313 के तहत आरोपी-प्रत्यार्थी का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी सबूतों से इनकार किया था।बचाव में आरोपी ने डीडब्ल्यू1 उदयभान यादव को पेश किया।

15. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपी-प्रत्यार्थी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और, तदनुसार, उसे भा.दं.सं. की धारा 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया था। इससे व्यथित महसूस करते हुए राज्य ने मौजूदा अपील दायर की गई है।

16. हमने राज्य के लिए विद्वान उप महाधिवक्ता और आरोपी व्यक्ति के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री का अध्ययन किया है।

17. राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि पीड़ित और अभियुक्त-प्रत्यार्थी का विवाह वर्ष 1998 में संपन्न हुआ। विवाह के सात वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों की तुलना में 30.07.2001 को पीड़ित की मृत्यु हो गई।प्रत्यर्थी-पति मृतक (पत्नी) से दहेज की मांग करता था और उसकी मृत्यु से कुछ समय *पहले* उसके साथ बलात्कार करता था।भाई और माँ ने प्रत्यार्थी के खिलाफ पर्याप्त सबूत दिए हैं।प्रत्यार्थी को भा.दं.सं. की धारा 304बी के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार हैं। निचली अदालत द्वारा सबूतों का आंकलन किया गया। अपील स्वीकार किए जाने योगए है।

18. इसके विपरीत, प्रत्यार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-प्रत्यार्थी को दोषी ठहराने के लिए मामले में पर्याप्त सबूत नहीं हैं और निचली अदालत ने अभियुक्त-प्रत्यार्थी को सही ढंग से बरी कर दिया है।

19. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, अभियोजन पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अलग से चर्चा करना उचित होगा।

20. सबसे पहले, अभियोजन पक्ष के मामले और अभियुक्त-प्रत्यार्थी के नेतृत्व में साक्ष्यों की जांच के लिए, हम निम्नलिखित प्रासंगिक प्रावधानों को निकाल सकते हैं - धारा 304ख भा.दं.सं. सी. जो "दहेज मृत्यु" से संबंधित हैः-

> **"304B Dowry Death** - (1) Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than undernormal circumstances within seven years of her marriage and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for, or in connection with, any demand for dowry, such death shall be called "dowry death", and such husband or relative shall be deemed to have caused her death.
>
> Explanation.—For the purpose of this sub-section, "dowry" shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).
>
> (2) Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life."

21. जैसा कि उपरोक्त प्रावधान से देखा जा सकता है, अभियुक्त को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए धारा 304ख भा.दं.सं.की., निम्नलिखित पूर्व-अपेक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिएः

(i) कि किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई होगी या सामान्य परिस्थितियों के अलावा अन्यथा हुई होगी;

(ii) कि ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल की अवधि के भीतर हुई होगी;

(iii) कि महिला को उसकी मृत्यु से ठीक पहले उसके पति के हाथों क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा; और

(iv) कि ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की किसी मांग के लिए या उससे संबंधित होना चाहिए।

22. धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का यह कथन दहेज

मृत्यु से संबंधित अनुमान को संदर्भित करता है और इसे निम्न रूप में व्यक्त किया गया हैः-

"113B.Presumption as to dowry death

- When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry, the Court shall presume that such person had caused the dowry death.

Explanation - For the purposes of this section, "dowry death" shall have the same meaning as in section 304B of the Indian Penal Code (45 of 1860)."

23. स्पष्टीकरण संलग्न किया गया है धारा 304ख भा.दं.सं. सी. में कहा गया है कि "दहेज" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसमें दिया गया है। धारा 2 दहेज निषेध अधिनियम, 1961 जो इस प्रकार हैः

> **"2. Definition of 'dowry'** - In this Act, "dowry" means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly –
>
> (a) by one party to a marriage to the other party to the marriage; or
>
> (b) by the parents of either party to a marriage by any other person, to either party to the marriage or to any other person;
>
> at or before or any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties, but does not include dower or mahr in the case of persons to whom the Muslim Personal law (Shariat) applies."

24. भा.दं.सं. सी. की धारा 304 बी के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए अपराध के मुख्य तत्व, जो स्थापित किए जाने की **आवश्यकता है, वह यह** है कि 'उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले' पीड़िता को दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था।

25. एक बार जब अभियोजन पक्ष यह प्रदर्शित करने के लिए स्थापित हो जाता है कि किसी महिला को उसकी मृत्यु से पहले दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार किया गया है, तो न्यायालय इस धारणा पर आगे बढ़ेगा कि जिस व्यक्ति ने दहेज की मांग के संबंध में उसे क्रूरता

का शिकार बनाया है, उसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के सहपठित भा.दं.सं. की धारा 304 बी के अर्थ के भीतर दहेज मृत्यु का कारण बना है।

26. अब, सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने दहेज मृत्यु के प्राथमिक तत्वों को स्थापित किया है मृत्यु के कारण के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख में उल्लिखित उपधारण को आकर्षित करना।

27. पीडब्लू 4 डॉ विमल कुमार श्रीवास्तव और पीडब्लू 5 डॉ प्रकाश चंदर पांडे ने मृतक के शरीर पर मिट्टी के तेल की गंध पाई, जिसे 90% जलने की चोटें आई थीं।इसलिए, मौजूदा मामले में, मृतक-पीड़ित ने जलने की चोटों के कारण दम तोड़ दिया।चूँकि मृत्यु विवाह के सात वर्षों के भीतर जलने वाली चोटों से संबंधित थी, यह स्पष्ट रूप से अपराध के पहले दो तत्वों को संतुष्ट करता है।

28. दहेज की मांग के मुद्दे पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतक के भाई सुनील यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिवादी-आरोपी ने मृतक-पत्नी से Rs.50,000/- की दहेज की मांग शुरू कर दी थी और अदालत के समक्ष अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दहेज की मांग पर प्रतिवादी-आरोपी को रक्षाबंधन से पहले Rs.30,000/- नकद दिए गए थे और शेष राशि के भुगतान के लिए आरोपी को आश्वासन दिया गया था।उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी शादी के बाद पीड़िता के साथ बलात्कार *करता* था।

29. पीडब्लू2 भुरी देवी, जो मृतक की मां हैं, ने भी पीडब्लू1 के बयान की पुष्टि की और निष्पक्ष रूप से कहा कि आरोपी मृतक से दहेज की मांग करता था।यह तथ्य मृतक द्वारा उसे सुनाया गया था और तदनुसार, प्रतिवादी-अभियुक्त को नकद में Rs.30,000/- दिए गए थे।उसने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि जब मृतक अपने माता-पिता के घर पहुंची तो उसने खुलासा किया कि आरोपी-प्रत्यार्थी दहेज *की* मांग के कारण उसके साथ बलात्कार करता था।

30. प्रथम सूचना रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अभियुक्त-प्रत्यार्थी दहेज की माँग करता था।पीडब्लू1 सुनील यादव मृतक का भाई है जबकि पीडब्लू2 भुरी देवी माँ है।दोनों गवाहों के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त -प्रत्यार्थी मृतक के साथ *मारपीट* करता था और दहेज के रूप में Rs.50,000/- की मांग करता था। उन्होंने यह भी कहा कि दहेज की मांग पर, प्रतिवादी-आरोपी को रक्षाबंधन से पहले Rs.30,000/- नकद दिए गए थे और आरोपी को रक्षाबंधन के त्योहार के बाद शेष राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि घटना से तुरंत पहले दहेज की मांग के लिए मृतक को कोई यातना पहुंचाई गई हो या दुर्व्यवहार किया गया था। "दहेज मृत्यु" की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि "जल्द ही पहले" अभिव्यक्ति को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।यह हमेशा विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। इसी क्रम मे P.W.2-भुरी देवी के साक्ष्य से देखा जाता है कि अपनी बेटी ने उन्हें उनकी मृत्यु से 20 दिन पहले फोन किया था और उन्हें पैसे लाने के लिए कहा था, पूर्व मे की गई Rs.50,000/- की मांग के संबंध में था। उसने आगे कहा है कि उसने अपनी बेटी (मृतक) और दामाद (प्रतिवादी) को फोन किया और आरोपी और मृतक को इस वादे के साथ Rs.30,000/- दिए कि बाकी पैसे रक्षा बंधन के बाद दिए जाएंगे।रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले मृतक की जलने की चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी।विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अपीलकर्ता इतने दिनों तक प्रतीक्षा कर सकता है तो उसके लिए रक्षा बंधन से 4-5 दिन पहले हत्या करने का क्या कारण है।

31. हमारी राय मे कि इस तरह के अनुमान या उपधारना उचित नहीं हैं और इस तरह के गंभीर प्रकृति के मामले में विचरण नयायधीश द्वारा इसका

सहारा नहीं लिया जाना चाहिए था।हमारी राय है कि यह तथ्य कि मृत्यु से 20 दिन पहले, मृतक ने अपनी माँ को फोन किया और उसे पैसे लाने के लिए कहा, इस तथ्य का पर्याप्त संकेत है कि उसे दहेज की मांग के लिए यातना दी गई थी, जिसके कारण वह अपनी माँ को फोन करने के लिए प्रेरित हुई।इसलिए, हम हैं इस बात पर दृढ़ राय है कि विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा साक्ष्य की सराहना न केवल अनुचित है, बल्कि हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता भी विकृत है।

32. पीडब्लू4 डॉ. विमल कुमार श्रीवास्तव और पीडब्लू5 डॉ. प्रकाश चंदर पांडे के बयान के अनुसार, मृतक की मौत का कारण जलने की चोटें हैं।

33. डी. डब्ल्यू. 1 उदयभान यादव के बयान के अनुसार, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, प्रत्यार्थी घर पर अवषये ही मौजूद था।

34. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि घटना 30.07.2001 को हुई थी जबकि मृतक के साथ प्रत्यार्थी का विवाह 19.06.1998 को संपन्न किया गया था, जो दर्शाता है कि पीड़ित की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई थी।

35. विचरण न्यायालय ने सबूतों का ठीक से आकलन नहीं किया और प्रत्यार्थी को केवल इन उपधारणों और अनुमानों के आधार पर बरी कर दिया कि प्रत्यार्थी मृतक को इलाज के लिए अस्पताल ले गया था और रिकॉर्ड पर कोई मृत्यु घोषणा नहीं है।

36. साक्ष्य के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि जब मृतक को अस्पताल ले जाया गया था तो वह 90% जलने की स्थिति में थी और उसकी मृत्यु के कुछ दिनों से पहले उसने अपनी माँ और भाई को बताया कि उसे दहेज की मांग के लिए प्रत्यार्थी-पति द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

37. पूरे साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ उचित संदेह से परे अपने

मामले को सफलतापूर्वक साबित किया है और प्रत्यार्थी-राजेंद्र सिंह (मृतक के पति) को दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया सबूत है।परिस्थितियों को एक साथ रखते हुए, शादी के तीन साल और दो महीने के भीतर अपनी पत्नी के जीवन को समाप्त करने में उसके अपराध की ओर इशारा करता है क्योंकि वह मांगों को पूरा करने में विफल रही थी दहेज की।पीड़ित की मौत के तुरंत बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

38. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष सफलतापूर्वक यह साबित करने में सफल रहा कि मृतक की जलने की चोटों के कारण मृत्यु उसकी शादी के लगभग तीन साल और दो महीने के भीतर हुई थी। यह भी साबित हो गया है कि उसकी मृत्यु के अनुसार कुछ समय पहले उसको दहेज की मांग के कारण उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करना पड़ा था।चूंकि भा.दं.सं. की धारा 304 बी के तत्व संतुष्ट हैं, इसलिए धारा 113 बी, साक्ष्य अधिनियम के तहत आरोपी-प्रत्यार्थी के खिलाफ उपधारना की जा सकती है जिसे भा.दं.सं. की धारा 304 बी के तहत निर्दिष्ट अपराध का कारण माना जाता है।

39. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन से निम्नलिखित तथ्य साबित होते हैंः-

a) मृतक ममता की शादी 19.06.1998 को प्रत्यार्थी (राजेंद्र सिंह यादव) के साथ हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार की गई थी।

b) पीड़ित की 30.07.2001 को सामान्य परिस्थितियों की तुलना में जलने की चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

c) उनकी मृत्यु उनकी शादी के सात साल के भीतर हुई।

d) मृतक को उसकी मृत्यु से पहले उसके पति (प्रतिवादी) के हाथों क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

e) प्रत्यार्थी ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी ममता के

प्रति क्रूरता और उत्पीड़न किया है।

f) मृतक ने अपनी मां को उसकी मृत्यु से 20 दिन पहले फोन किया और उसे पैसे लाने के लिए कहा, और उस P.W.2-भुरी देवी ने अपनी बेटी (मृतक) और दामाद (प्रतिवादी) को फोन किया और Rs.30,000/- देने का वादा किया कि बाकी पैसे रक्षाबंधन के बाद दिए जाएंगे।

g) मेडिकल साक्ष्य के अनुसार, पीड़ित-ममता की मौत 90% जलने की चोटों के कारण हुई।

40. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा सरकारी अपील को अनुमति दी जा सकती है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है ।

41. तदनुसार, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, उधम सिंह नगर द्वारा 2001 के S.T.No.399 में भा.दं.सं. की धारा 304 बी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत पारित 07.06.2002 के आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द किए जाते हैं।

42. अतः प्रत्यार्थी-राजेंद्र सिंह यादव उर्फ राजेंद्र कुमार को इसके द्वारा भा.दं.सं. की धारा 304 ख और दहेज निषेध अधिनियम की 3/4 के तहत दोषी ठहराया जाता है और तदनुसार, भा.दं.सं. की धारा 304 ख के तहत सात साल के सश्रम कारावास के साथ-साथ Rs.20,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम की परिस्थिति मे उसे छह महीने का सश्रम कारावास भुगतना होगा और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत Rs.5,000/- के जुर्माने के साथ एक साल के सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है, जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम की परिस्थिति मे उसे दो महीने का कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

43. अभियुक्त-प्रत्यर्थी को न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का

निर्देश दिया जाता है।

44. एल. सी. आर. के साथ इस निर्णय और आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

संजय कुमार मिश्रा, ए 0 सी0 जे0 .

रमेश चंद्र खुल्बे, जे।

एसएस